मध्य प्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक/8778/MGNREGS-MP/NR-3/SE-1/2010/ भोपाल, दिनांकः 19 अगस्त 2010

प्रति,

कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.
जिला समस्त
(सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ एवं दतिया को छोड़कर)

विषयः **राज्य विधान सभा में पारित संकल्प 2010, संकल्प क्र. 41 "कपिलधारा से लाभान्वित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को सिंचाई हेतु अन्य विभागों की योजनाओं के अभिसरण से विद्युत/डीजल पम्प उपलब्ध कराया जाए". की पूर्ति हेतु दिशा निर्देश।**

—00—

माननीय मुख्यमंत्री जी, द्वारा राज्य विधान सभा में संकल्प–2010 पारित कराया गया है। जिसमें संकल्प क्र. 41 "कपिलधारा से लाभान्वित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को सिंचाई हेतु विद्युत/डीजल पम्प उपलब्ध कराया जाए" पारित है। संकल्प की पूर्ति हेतु आगामी कार्यवाही के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद को नोडल अधिकारी तथा संचालक, ग्रामीण रोजगार को सहनोडल अधिकारी नामांकित किया गया है। संकल्प की पूर्ति हेतु क्रियान्वित की जाने वाली आयोजना निम्नानुसार हैः-

1. **पृष्ठभूमि** :– महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र. (आगे मनरेगा कहा जावेगा) की कपिलधारा उपयोजना के तहत लघु सिंचाई तालाब, स्टाप डेम, खेत तालाब एवं कूप निर्माण का कार्य लक्षित वर्ग जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार, इन्दिरा आवास योजना के परिवार, भूमिसुधार लघु एवं सीमान्त वर्ग के कृषक शामिल है, इन सभी हितग्राही कृषकों की निजी भूमि पर किया जा रहा है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के ग्रामीण क्षेत्र के कृषक परिवारों की निजी भूमि पर उपयोजना अंतर्गत निर्मित पूर्ण एवं सफल कूप से सिंचाई सुविधा हेतु आत्मनिर्भर बनाये जाने के उद्धेश्य से पानी के उद्वहन के लिये विद्युत/डीजल पम्प स्थापित कराये जाने की आवश्यकता की पूर्ति हेतु संकल्प पारित किया गया है। विद्युत/डीजल पम्प केवल उन्हीं हितग्राही कृषकों को अनुदान/ऋण पर उपलब्ध कराया जाना है जिन्होनें स्वंय के व्यय से, किसी केन्द्रीयकृत या राज्य की अन्य योजना से अनुदान/ऋण पर पूर्व में प्राप्त नहीं किया है।
2. **कार्यक्षेत्र** :– आयोजना का क्रियान्वयन म.प्र. के समस्त जिलों (बुंदेलखण्ड क्षेत्र के छः जिलों सागर, दमोह, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ एवं दतिया को छोड़कर) में किया जाना है।

3. अनुदान एवं ऋण :–

3.1 मनरेगा की कपिलधारा उपयोजना अंतर्गत सिर्फ कूप निर्माण कराये जाने का प्रावधान है। सिंचाई की व्यवस्था हेतु पानी उद्वहन के लिये विद्युत/डीजल पम्प उपलब्ध कराये जाने हेतु किसी प्रकार की राशि व्यय की जाने का प्रावधान नहीं है।

3.2 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं अन्य विभागों की संचालित योजनाओं में संकलित जानकारी के आधार पर अनुदान का विवरण निम्नानुसार है।

i **जिला पंचायतः–** जिला पंचायत द्वारा एस.जी.एस.वाई. योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हितग्राहियों को रू. 10,000 एवं सामान्य वर्ग हितग्राहियों को रू. 7,500 अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।

ii **कृषि विभागः–** कृषि विभाग द्वारा कपिल धारा उपयोजना अंतर्गत निर्मित कूप के सभी वर्ग के हितग्राहियों को रू. 10,000 प्रति हितग्राही के मान से अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।

iii **जिला अन्तव्यवसायी :–** कपिलधारा कूपों के अनु.जाति वर्ग के हितग्राहियों को रू. 10,000 का अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।

iv **आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग :–** अनु.ज.जाति वर्ग के हितग्राही जिन्हें कपिलधारा कूप स्वीकृत किये गये है, उन्हें आदिम जाति कल्याण विभाग से अनुसूचित जाति के BPL को रू. 20,000 अनुदान दिये जाने का पावधान है। (प्रीमीटिव जाति विकास मद की राशि से संबंधित वर्ग के कृषकों को लाभान्वित किये जाने हेतु जिला कलेक्टर अपने स्तर से परीक्षण कर सकते हैं)

v इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ परियोजना एवं म.प्र. ग्रामीण आजीविका परियोजना ने भी सिंचाई सुविधा के लिये पानी के उद्वहन हेतु पम्प के लिये अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।

4. संकल्प क्रियान्वयन हेतु कार्यकारी समूह (Working Group):–

4.1 कपिलधारा उपयोजना के अंतर्गत लाभार्थियों को सिंचाई हेतु विद्युत/डीजल पम्प उपलब्ध कराये जाने हेतु परिषद के पत्र क्र.15350/एनआर–3/एनआरईजीएस–म.प्र./2009 दिनांक 21.12.2009 के तहत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित कर कार्यवाही के निर्देश दिये गये है। इन्हीं निर्देशों क तहत संकल्प की पूर्ति हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों के यहाँ निर्मित पूर्ण एवं सफल कूपों पे सिंचाई प्रसुविधा सुनिश्चित करने के लिये पानी के उद्वहन के लिये निम्नानुसार समिति गठित कर विद्युत/डीजल पम्प उपलब्ध कराये जाना है :–

1. जिला कलेक्टर	–	अध्यक्ष
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	–	संयोजक
3. उपसंचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग	–	सदस्य सचिव,
4. जिला विपणन अधिकारी, म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित (मार्कफेड)	–	सदस्य
5. जिला प्रबंधक, म.प्र. कृषि उद्योग विकास निगम (एम.पी. एग्रो)	–	सदस्य
6. परियोजना अधिकारी, स्वर्ण जंयती, ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY)	–	सदस्य
7. जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग	–	सदस्य
8. जिला अधिकारी, (DPIP या MPRLP)	–	सदस्य
9. जिला प्रबंधक, अग्रणी बैंक		

(लीड बैंक मैनेजर)	–	सदस्य
10 संभागीय अभियंता म.प्र. विद्युत वितरण कंपनी लि.	–	सदस्य
11 जिला फील्ड अधिकारी, अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम	–	सदस्य
12 उपसंचालक/सहायक संचालक उद्यानिकी	–	सदस्य
13 जिले के समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी– जनपद पंचायत		सदस्य

4.2 जिला स्तरीय समिति सर्वप्रथम माह जुलाई 2010 की स्थिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के पात्र हितग्राही कृषकों की निजी भूमि पर निर्मित पूर्ण एवं सफल कूपों से सिंचाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर विद्युत/डीजल पम्प उपलब्ध कराये जाने की रणनीति तैयार करेगी। वर्ष 2012–13 तक कूप भरण संरचना (रिचार्जिंग स्ट्रक्चर सहित) पूर्ण एवं सिचाई हेतु पर्याप्त पानी की उपलब्धता वाले कूपों में विद्युत/डीजल पम्प प्रदाय किये जावेगें।

4.2.1 जनपद पंचायतों से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के पात्र हितग्राही कृषकों की सूची प्राप्त कर जिला पंचायत स्तर पर संकलित करेगी एवं कितने हितग्राही कृषकों को विद्युत/डीजल पम्प दिया जाना है, संख्या का आंकलन करेगी।

4.2.2 जिला स्तरीय कार्यकारी समिति की बैठक आयोजित कर विभिन्न विभागों/कार्यक्रमों के अंतर्गत कितनी संख्या मे पम्प सेट उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुदान/ऋण दिया जाना है, विभाग/कार्यक्रमवार संख्या का लक्ष्य निर्धारित करेगी एवं पात्र हितग्राही कृषकों की सूची में विभाग/कार्यक्रम का नाम अंकित करेगी। इस प्रकार तैयार सूची जिला कलेक्टर द्वारा अनुमोदित कर संबंधित जिला अधिकारियों को निश्चित समय सीमा में कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराई जावें।

4.2.3 विभाग /कार्यक्रमवार निर्धारित लक्ष्य एवं अनुदान/ऋण की प्रक्रिया अनुसार संबंधित हितग्राही कृषकों को विद्युत/डीजल पम्प सेट समय सीमा मे उपलब्ध कराये जावें।

4.3 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के पात्र हितग्राही कृषकों की संख्या अधिक होने पर विभिन्न विभागों को लक्ष्य आवंटित के उपरांत वर्ष 2010–11 में विद्युत/डीजल पम्प उपलब्ध कराये जाना संभव नहीं होने पर निम्न कार्यवाही की जावें:–

4.3.1 संबंधित विभागों/संस्थाओं के जिला अधिकारी, जिलों को आवंटित लक्ष्य में वृद्धि हेतु प्रस्ताव अपने विभाग प्रमुख को जिला कलेक्टर के माध्यम से भेज सकेगें।

4.3.2 लक्ष्य में वृद्धि नहीं होने पर आगामी वर्ष 2011–12 में नवीन पूर्ण होने वाले कूपों के साथ वर्ष 2010–11 में विद्युत/डीजल पम्प के लाभ से वंचित शेष हितग्राही कृषकों की संख्या का आंकलन कर वर्ष 2011–12 का लक्ष्य जिला स्तरीय कार्यकारी समूह द्वारा तय किया जावेगा। पम्प सेट उपलब्ध कराये जाने में वर्ष 2010–11 के शेष हितग्राही को प्राथमिकता क्रम में ऊपर रखा जावें।

4.3.3 कण्डिका 5.3.2 के अनुसार ही वर्ष 2012–13 में लक्ष्य तय किया जावें।

5. **सामान्य निर्देश :–**

5.1 मनरेगा की कपिलधारा उपयोजना के तहत लक्षित वर्ग के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के सभी हितग्राही जिनकी निजी भूमि में कूप निर्माण का कार्य रिचार्जिंग सहित पूर्ण हो गया है एवं उनकी भूमि की सिंचाई हेतु कूप मे पर्याप्त मात्रा मे पानी की उपलब्धता है। ऐसे सभी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राही कृषकों या उनके जॉबकार्ड में अंकित सदस्यों के पास पानी के उद्‌वहन हेतु डीजल/विद्युत पम्प नहीं होने पर उन्हें विभिन्न

विभागो/कार्यक्रमों की प्रचलित योजनाओं के तहत पम्प सेट हेतु अनुदान/ऋण प्राप्त करने की पात्रता होगी।

5.2 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को योजना अंतर्गत अनुदान से उपलब्ध कराये गये डीजल/विद्युत पम्पसेट अहस्तान्तरणीय होगा। इसका न तो विक्रय किया जा सकता है और न ही किसी को दान में दिया जा सकता है, ना ही उसे किसी के यहॉ बंधक (गिरवी) रखा जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसे पम्पों को क्रय/विक्रय करता पाया गया तो उसके विरूद्ध कार्यवाही की जाए। इस संबंध में लिखित अभिकथन हितग्राहियों से आवेदन पत्र के साथ ही प्राप्त किया जावें।

5.3 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राही कृषकों की जानकारी ग्राम पंचायत सचिव, द्वारा जनपद पंचायत को भेजी जावेगी। जनपद स्तर पर जानकारी संकलित कर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं उपसंचालक, कृषि को हार्ड कापी एवं साफ्ट कापी में भेजने का दायित्व अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा जनपद पंचायत का होगा।

5.4 जनपद पंचायतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर डीजल/विद्युत पम्प विभिन्न विभागों की प्रचलित योजना/कार्यक्रमों के तहत अनुदान/ऋण पर उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों का चयन जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जावेगा।

6. **मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण** :– योजना का क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा किया जावेगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हितग्राही कृषकों की भूमि पर निर्मित कपिलधारा कूपों, पात्र हितग्राही कृषक जिन्हें 31.03.2010 तक पम्प प्रदाय किये गये है एवं प्रदाय किया जाना शेष है, की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की जानकारी संलग्न **परिशिष्ट 1** में भेजी जावे। विभिन्न विभागों द्वारा लक्ष्य की पूर्ति हेतु अतिरिक्त आवंटन की मांग हेतु की गई कार्यवाही का विवरण जिसमें आवंटन की पत्र किसे भेजा गया हैं, पत्र क्रमांक, दिनांक का स्पष्ट उल्लेख हो **परिशिष्ट–2** में भेजा जावे। वर्ष 2010–11 में पम्प सेट प्रदाय की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की त्रैमासिक जानकारी **परिशिष्ट 3** में प्रत्येक तिमाही समाप्ति उपरांत आगामी माह की 05 तारीख तक ई–मेल/फैक्स से म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद् को भेजी जावें। चूंकि संकल्प 2010 की मॉनीटरिंग साप्ताहिक रूप से की जा रही है, अतएव परिशिष्ट–3 की जानकारी प्रत्येक शुक्रवार को भी अनिवार्य रूप से भेजी जावें। वित्तीय वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति हेतु उक्त परिशिष्ट ही वित्तीय वर्ष परिवर्तित कर लागू रहेगें।

7. **समयवद्ध क्रियान्वयन** :– आयोजना के क्रियान्वयन हेतु संलग्न वार्षिक कलेण्डर के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। **परिशिष्ट 4 संलग्न** है।

8. **प्रचार–प्रसार** :– उक्त आयोजना मे पारदर्शिता एवं हितग्राही को सुलभता से लाभान्वित किया जा सकें इस हेतु आयोजना का प्रचार प्रसार किया जाना आवश्यक है। अतएव ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत व अन्य संबंधित अधिकारियों के कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर आयोजना की संक्षिप्त जानकारी का विवरण चस्पा कराया जावें। **परिशिष्ट 5** संलग्न है।

उपरोक्त निर्देशों का अध्ययन कर पारदर्शिता का ध्यान रखते हुये आयोजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

(आर. परशुराम)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृष्ठा. क्र. 8779/NR-3/Tech./2010 भोपाल, दिनांक 19/08/2010

प्रतिलिपि :

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन कृषक कल्याण एवं सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन , आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
5. सचिव, म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, नर्मदा भवन, भोपाल।
7. संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि तिकास संचालनालय, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
8. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, जहॉगीराबाद, भोपाल।
9. प्रबंध संचालक, एम.पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेवेलपमेंट कार्पोरेशन लिमि. पंचानन भवन, मालवीय नगर, भोपाल।

प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

परिशिष्ट –1

संकल्प 2010 के तहत संकल्प क्र. 41

मनरेगा की कपिल धारा उपयोजनान्तर्गत अन्य विभागों की योजनाओं के अभिसरण से डीजल/विद्युत पम्प उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सामान्य वर्ग के पात्र हितग्राही कृषकों को पम्पसेट प्रदाय की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की जानकारी

योजना प्रारम्भ से 31.03.2010 तक

राशि रू. लाख में

स. क्र.	कलिपधारा अंतर्गत कूपों का विवरण			विद्युत/डीजल पम्प सेट प्रदाय संख्या														कुलयोग	हितग्राही कृषकों की संख्या जिन्हें पम्प सेट प्रदाय किया जाना शेष है		पम्प प्रदाय करने से विकसित सिंचित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	रिमार्क
				आदिम जाति एवं कल्याण		किसान कल्याण एवं कृषि विकास संचालनालय		एस जी एस वाय		म.प्र. ग्रामीण आजीविका परियोजना		म.प्र. राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम		इंदिरा गॉधी गरीबी हटाओं परियोजना		अन्य						
	हित. संवर्ग	स्वीकृत संख्या	पूर्ण संख्या	संख्या	अनुदान / ऋण	संख्या	अनुदान / ऋण	संख्या	अनुदान / ऋण	संख्या	अनुदान / ऋण	संख्या	अनुदान / ऋण	संख्या	अनुदान / ऋण	संख्या	अनुदान / ऋण		संख्या (5–19)	प्रस्तावित अनुदान / ऋण राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	अ.जा.																					
	अ.ज.जा.																					
	सामान्य																					
	योग																					

नोट :– 1. योजना प्रारम्भ से वर्ष 2009–10 (31.03.2010) तक की जानकारी दी जावे।

2. पूर्ण कूप से आशय सिर्फ उन्हीं कूपों से है जिनके पूर्णता प्रमाण–पत्र जारी किये गये है एवं उनमें 1–2 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी उपलब्ध है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत.....

संकल्प 2010 के तहत संकल्प क्र. 41

मनरेगा की कपिल धारा उपयोजनान्तर्गत अन्य विभागों की योजनाओं के अभिसरण से डीजल/विद्युत पम्प उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सामान्य वर्ग के पात्र हितग्राही कृषकों को पम्पसेट प्रदाय हेतु अतिरिक्त आवंटन की मांग बाबत्

वर्ष 2010–11

राशि रूपये लाख में

स. क्र.	वर्ष	कलिपधारा अंतर्गत कूपों का विवरण		लक्ष्य से अधिक विद्युत/डीजल पम्प सेट प्रदाय हेतु अतिरिक्त की आवश्यकता				अतिरिक्त आवंटन की मांग हेतु संबंधित विभाग/कार्यक्रम के तहत की गई कार्यवाही का विवरण /भेजे प्रस्ताव की जानकारी (क्र. दिनांक किसको)	रिमार्क
				पम्प सेट प्रदाय हेतु उपलब्ध आवंटन		क्र. 5 एवं 6 अनुसार पूर्ति नहीं होने पर अतिरिक्त आवंटन की आवश्यकता			
		हित. संवर्ग	लक्षित प्रकरणों की संख्या	संख्या	अनुदान राशि	संख्या	अनुदान राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8		9
1	आदिम जाति एवं कल्याण	अ.जा.							
		अ.ज.जा.							
		सामान्य							
		योग							
2	किसान कल्याण एवं कृषि विकास संचालनालय	अ.जा.							
		अ.ज जा.							
		सामान्य							
		योग							

3	एस जी एस वाय	अ.जा.							
		अ.ज.जा.							
		सामान्य							
		योग							
4	म.प्र. ग्रामीण आजीविका परियोजना	अ.जा.							
		अ.ज.जा.							
		सामान्य							
		योग							
5	म.प्र. राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम	अ.जा.							
		अ.ज.जा.							
		सामान्य							
		योग							
6	इंदिरा गॉधी गरीबी हटाओं परियोजना	अ.जा.							
		अ.ज.जा.							
		सामान्य							
		योग							
7	अन्य	अ.जा.							
		अ.ज.जा.							
		सामान्य							
		योग							
	महायोग								

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत......................

संकल्प 2010 के तहत संकल्प क्र. ...

मनरेगा की कपिल धारा उपयोजनान्तर्गत अन्य विभागों की योजनाओं के अभिसरण से डीजल / विद्युत पंप उपलब्ध कराये जाने हेतु

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / सामान्य वर्ग के पात्र हितग्राही कृषकों को पम्पसेट प्रदाय की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की जानकारी

वर्ष 2010–11

राशि रुपये लाख में

स.क्र.	वर्ष	कपिलधारा अतर्गत कूपों का विवरण		विद्युत / डीजल पम्प सेट प्रदाय संख्या														कुल पंप सेट प्रदाय संख्या	हितग्राही कृषकों की संख्या जिन्हें पम्प सेट प्रदाय किया जाना शेष है		पंप प्रदाय करने से विकसित सिंचित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	रिमार्क
				आदिम जाति एवं कल्याण		किसान कल्याण एवं कृषि विकास संचालनालय		एस जी एस वाय		म.प्र. ग्रामीण आजीविका परियोजना		म.प्र. राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम		इंदिरा गाँधी गरीबी हटाओ परियोजना		अन्य						
		हित. संवर्ग	लक्षित प्रकरणों की संख्या	संख्या	अनुदान / ऋण	संख्या	अनुदान / ऋण	संख्या	अनुदान / ऋण	संख्या	अनुदान / ऋण	संख्या	अनुदान / ऋण	संख्या	अनुदान / ऋण	संख्या	अनुदान / ऋण		संख्या (5–19)	प्रस्तावित अनुदान / ऋण राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	प्रथम तिमाही (अप्रैल 2010 से जून 2010 तक) **परिशिष्ट–1 के कॉलम क्र. 20 अनुसार**	अ.जा.																				
		अ.ज.जा.																				
		सामान्य																				
		योग																				
2	द्वितीय तिमाही (30 सितम्बर 2010 तक) नवीन प्रकरणों सहित	अ.जा.																				
		अ.ज.जा.																				
		सामान्य																				
		योग																				
3	तृतीय तिमाही (31 दिसम्बर 2010 तक)	अ.जा.																				
		अ.ज.जा.																				
		सामान्य																				
		योग																				
3	चतुर्थ तिमाही (31 मार्च 2011 तक)	अ.जा.																				
		अ.ज.जा.																				
		सामान्य																				
		योग																				
	महायोग																					

नोट :– 1. प्रथम तिमाही की जानकारी अंकित करते समय परिशिष्ट–1 के कॉलम क्र. 20 अर्थात 31.03.10 की स्थिति में शेष हितग्राहियों की संख्या को प्रारम्भिक शेष में जून 10 तक के नवीन पूर्ण कूप के **प्रकरणों को शामिल** करते हुये संख्या दी जावें।

2. **द्वितीय**, तृतीय एवं चतुर्थ तिमाही में सिर्फ नवीन प्रकरणों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की जानकारी अंकित की जावे।

3. पूर्ण कूप से आशय सिर्फ उन्हीं कूपों से है जिनके पूर्णता प्रमाण–पत्र जारी किये गये है एवं उनमें 1-2 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी उपलब्ध है।

F:\EE\Pump\Sankalp\Final\FormateFinal 2

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत..........

मनरेगा की कपिल धारा उपयोजनान्तर्गत अन्य विभागों की योजनाओं के अभिसरण से डीजल/विद्युत पम्प हेतु

(संकल्प 2010 के तहत संकल्प क्र. 41)

क्र.	कार्यों का विवरण	समयसीमा
1	माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्प की पूर्ति हेतु जिला स्तरीय कार्यकारी समिति के सदस्यों को परिपत्र की जानकारी देने हेतु बैठक का आयोजन।	25 अगस्त 2010
2	अनुसूचित जाति/अनुसूवित जनजाति वर्ग के विद्युत/डीजल पम्प उपलब्ध कराये जाने हेतु पात्र हितग्राही कृषकों की सूची तैयार कर संख्या का आंकलन एवं वर्ष 2010–11 में विद्युत/डीजल पम्प प्रदाय करने हेतु विभाग/कार्यक्रमवार लक्ष्य का निर्धारण। परिशिष्ट–1 की जानकारी।	31 अगस्त 2010
3	वर्ष 2010–11 में पम्प सेट प्रदाय की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति एवं एससी/एसटी वर्ग के हितग्राहियों की विभागों को आवंटित राशि की तुलना में लक्ष्य से संख्या अधिक होने के कारण वर्ष 2010–11 में सभी को पम्प सेट प्रदाय नहीं होने की स्थिति में लक्ष्य वृद्धि का प्रस्ताव संबंधित विभागों द्वारा अपने विभाग प्रमुख को भेजा जाना। परिशिष्ट –2 एवं 3 की जानकारी	प्रथम बार 08 सितम्बर 2010 तक एवं तिमाही उपरांत आगामी माह की 05 तारीख तक
4	पात्र हितग्राही कृषकों की संख्या एवं विभिन्न विभागों/कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रदाय किये जाने वाले विद्युत/डीजल पम्प की अद्यतन साप्ताहिक भौतिक प्रगति की रिपोर्ट म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल को परिशिष्ट–'2' में भेजना।	प्रत्येक शुक्रवार

मनरेगा की कपिलधारा उपयोजना के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों की निजी भूमि पर निर्मित कूपों से सिंचाई हेतु पानी के उदवहन के लिये अन्य विभागों की योजनओं के अभिसरण से विद्युत/डीजल पम्प प्रदाय किये जाने की आयोजना का प्रचार प्रसार।

(संकल्प 2010 के तहत संकल्प क्र. 41)

—00—

1. **उद्देश्य :–** प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अल्प वर्षा, वर्षा की अनिश्चितता के कारण सूखे की स्थिति के प्रभाव से बचाने के लिये, सिंचाई सुविधाओं के विकास के माध्यम से भूजल स्तर मे सुधार लाने तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के ग्रामीण क्षेत्र के कृषक परिवारों की कृषि उत्पादन में वृद्धि की जाना है। जिससे मनरेगा अधिनियम की मंशा अनुसार उनकी आजीविका सुदृढ़ हो सकें। कपिलधारा उपयोजना के तहत कूप निर्माण से लाभान्वित कृषकों के पास पानी के उदवहन हेतु पम्प नहीं होने से उनके द्वारा भूमि की सिंचाई हेतु अन्य संपन्न वर्ग के कृषकों पर निर्भर रहना पड़ता है। इस कारण उनकी भूमि की सिंचाई समय पर नहीं होने के कारण कृषि उपज पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। कृषकों को सिंचाई की प्रसुविधा में आत्मनिर्भर बनाये जाने के उद्धेश्य से विद्युत/डीजल पम्प दिये जाने की आवश्यकता की पूर्ति हेतु संकल्प पारित किया गया है।।

2. **हितग्राही एवं चयन प्रक्रिया :–**

2.1 मनरेगा की कपिलधारा उपयोजना के तहत लक्षित वर्ग के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के सभी हितग्राही जिनकी निजी भूमि में कूप निर्माण का कार्य रिचार्जिंग सहित पूर्ण हो गया है एवं उनकी भूमि की सिंचाई हेतु कूप मे पर्याप्त मात्रा म पानी की उपलब्धता है। ऐसे सभी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राही कृषकों या उनके जॉबकार्ड में अंकित सदस्यों के पास पानी के उदवहन हेतु डीजल/विद्युत पम्प नहीं होने पर उन्हें इस योजना के तहत पम्प हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन करने की पात्रता होगी।

2.2 ऐसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राही जिन्हें शासन की अन्य योजनाओं जैसे एसजीएसवाई, अन्त्यव्यवसायी टीएसपी, या केन्द्रीय कृत योजनाओं इत्यादि से पूर्व में लाभान्वित किया गया है अथवा [illegible] सिंचाई पम्प प्राप्त कर लिए हों, उन्हें इस योजना [illegible] पात्र नहीं होंगे।

2.3 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को योजना अंतर्गत अनुदान से उपलब्ध कराये गये डीजल/विद्युत पम्पसेट अहस्तान्तरणीय होगा। इसका न तो विक्रय किया जा सकता है और न ही किसी को दान में दिया जा सकता है, ना ही उसे किसी के यहॉ बंधक (गिरवी) रखा जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसे पम्पों को क्रय/विक्रय करता पाया गया तो उसके विरूद्ध कार्यवाही की जाए। इस संबंध में लिखित अभिकथन हितग्राहियों से आवेदन पत्र के साथ ही प्राप्त किया जावें।

नोटः– उक्त पम्पलेट ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर ग्रामीण कृषि विकास विस्तार अधिकारी, तथा ग्राम के दो प्रमुख स्थलों पर चस्पा किये जावेंगे।

जनपद स्तर पर जनपद पंचायत एवं विकासखण्ड स्तर के सभी संबंधित कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेंगे

जिला स्तर पर जिला कलेक्टर एवं जिला पंचायत तथा संबंधित जिला कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेंगे।